कार्यालय जिलाधिकारी महोबा

संख्या– ०३६/डी0एल0आर0सी0–12ए/2015–16 दिनांक– दिसम्बर, 29 2015

विषय : ग्रीन ऊर्जा सौर ऊर्जा के 30 मेगावाट सोलर पावर प्लान्ट लगाने हेतु भूमि क्रय करने के लिये जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा –154(2) के तहत अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महाप्रबन्धक
जिला उधोग केन्द्र
महोबा

उपर्युक्त विषयक कृ0मा0 आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बॉदा के पत्रांक 390/आर0ए0–8–भू0 क्रम0अनु0/2015–16 दिनांक 26.12.2015 (छायाप्रति संलग्न)पावर प्लान्ट लगाने हेतु जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा –154(2) के तहत कुल 59.751हे0 भूमि क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के साथ प्रदान की गयी हैं :–

01 .ग्रीन उर्जा के 30 मेगावाट पावर प्लान्ट लगाने हेतु क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु किया जायेगा ,अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा ।

02. क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी, अर्थात ग्रीन ऊर्जा प्रा0 लि0 के नाम होगी ।

03. उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय–समय जारी किये गये शासनादेशो के अधीन होगा ।

04. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि का संक्रमण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950की धारा –157(क) तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों को परिपालन करने के बाद क्रियान्वयन किया जायेगा।

05. संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी /अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में राजस्व विभाग पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण /विक्रय नही किया जायेगा ।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक :यथोक्त ।

(सन्तोष कुमार राय)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
महोबा

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ ग्रीन ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड ए–626 डी0एल0एफ0 टावर,जसोला,नई दिल्ली

(सन्तोष कुमार राय)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
महोबा